

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
भूमि एवं विकास कार्यालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

सं. बी-24026/4/09-सीडीएन/510

दिनांकित: 23/12/09

कार्यालय आदेश सं. 16/2009

विषय:- सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा भूमि और विकास कार्यालय द्वारा आवंटित भूमि की उप-किराएदारी- संबंधित आशोधन।

.....

इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं. 1/2008 के अनुसरण में, यह निर्णय लिया गया है कि पट्टेदारों/आवंटियों को अनुमति प्राप्त उप-किराएदारी आवंटियों का पट्टेदार का हिस्सा 15 जनवरी और 15 जुलाई को अर्धवार्षिक आधार पर अग्रिम में जमा करना होगा। देय तारीख तक भुगतान न किए जाने पर इस पर ब्याज लगाया जाएगा और इसे आवंटन/पट्टे के नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

(सुरेंद्र सिंह)

उप भूमि एवं विकास कार्यालय

वितरण:

1. सभी अधिकारी
2. सभी अनुभाग
3. सीडीएन की गार्ड फाइल
4. एलएंडडीओ की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए एनआईसी